NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-10-2025

विषय सूची

» भारत और ब्राज़ील मर्कोसुर के साथ व्यापार समझौते का विस्तार करेंगे
» भारत के प्रत्यर्पण ढांचे को सुदृढ़ करना: विशेष जेलों और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता
» भारत को यूरोपीय संघ के व्यापार साझेदारों में सबसे अधिक CBAM शुल्क का सामना
» स्थानीय निकायों में आरक्षण
» गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वैश्विक दक्षिण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए

संक्षिप्त समाचार

» प्रस्ताव 042
» पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) योजना [Per Drop More Crop (PDMC) scheme]
» भारत UN-GGIM एशिया-प्रशांत समिति का सह-अध्यक्ष निर्वाचित
» केप वर्ड
» प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)
» आयुष्मान भारत में निजी क्षेत्र के अस्पतालों का प्रभुत्व
» डिजिटल युग में डोपामाइन अधिभार का प्रभाव
» PUNCH अंतरिक्ष मिशन
» सेल2सेंटेंस-स्केल 27B (C2S-स्केल)
» Su-57 लड़ाकू जेट

भारत और ब्राज़ील मर्कोसुर के साथ व्यापार समझौते का विस्तार करेंगे

संदर्भ

- हाल ही में, भारत और ब्राज़ील ने मर्कोसुर समूह के अंतर्गत वर्तमान वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (PTA) के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल करना है।

मर्कोसुर के बारे में

- मर्कोसुर की स्थापना 1991 में हुई थी, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे संस्थापक सदस्य हैं।
  - बोलीविया की सदस्यता की पुष्टि अभी लंबित है।
- यह विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- इसके सहयोगी सदस्य देशों में चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम शामिल हैं।
  - पनामा मर्कोसुर में शामिल होने वाला प्रथम मध्य अमेरिकी देश है।

भारत और मर्कोसुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत ने 2003 में मर्कोसुर के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 2004 में एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA) हुआ, जो 2009 में प्रभावी हुआ।
  - यह PTA 450 उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है, जिन पर दवाओं, रसायनों, वस्त्रों और चमड़े के उत्पादों जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक शुल्क रियायतें दी जाती हैं।
  - यह भारत का लैटिन अमेरिकी समूह के साथ प्रथम औपचारिक व्यापार समझौता था, जिसने सुदृढ़ आर्थिक एकीकरण की नींव रखी।
- वर्तमान में भारत-मर्कोसुर PTA लगभग 450–452 टैरिफ लाइनों पर 10% से 100% तक शुल्क में रियायतें प्रदान करता है।

भारत-ब्राज़ील और मर्कोसुर

- भारत और ब्राज़ील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो 2024 में 12 अरब डॉलर था।
- विस्तारित PTA मर्कोसुर समूह के अंतर्गत संचालित होगा, और ब्राज़ील ने इस समझौते के शीघ्र एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए अपने मर्कोसुर भागीदारों के साथ निकट सहयोग की इच्छा व्यक्त की है।
- 2025 में भारत और ब्राज़ील के बीच निर्यात में पहले ही 30% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है।

विस्तारित समझौते के लक्ष्य

- वर्तमान 450 वस्तुओं से परे उत्पाद कवरेज को बढ़ाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा, दवाओं और डिजिटल अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित नवाचार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना।
- दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना।

सहयोग के उभरते क्षेत्र

- दोनों पक्षों ने भविष्य के सहयोग के लिए कई उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं: ऑटोमोटिव एवं एयरोस्पेस उद्योग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल नवाचार; नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा; स्वास्थ्य सेवा एवं जैव प्रौद्योगिकी; कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण; सेमीकंडक्टर एवं उन्नत विनिर्माण आदि।
- ब्राज़ील ने ब्राज़ील–भारत डिजिटल साझेदारी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और तकनीकी स्टार्टअप्स पर केंद्रित होगी।
  - इसका उद्देश्य दोनों देशों में हरित विकास, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

रणनीतिक महत्व

- **आर्थिक विविधीकरण**: मर्कोसुर भारत को 300 मिलियन से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक पश्चिमी भागीदारों पर निर्भरता कम होती है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग**: यह साझेदारी भारत की समतामूलक वैश्विक विकास की विदेश नीति दृष्टि के अनुरूप है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन**: लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना भारत के मजबूत और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लक्ष्य का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- **सीमित उत्पाद कवरेज और व्यापार मात्रा**: भारत का ब्राज़ील (जो मर्कोसुर का सबसे बड़ा भागीदार है) के साथ व्यापार चीन, अमेरिका और अर्जेंटीना के साथ ब्राज़ील के व्यापार की तुलना में काफी कम है।
  - व्यापार टोकरी में विविधता लाने और दवाओं, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएँ**: दोनों पक्षों को जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और असंगत मानकों जैसी नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - मर्कोसुर की सामान्य बाह्य शुल्क संरचना भारत की द्विपक्षीय शर्तों पर बातचीत करने की लचीलता को सीमित कर सकती है।
  - भारतीय निर्यातकों ने कृषि और ऑटो घटकों जैसे क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई है।
- **भूराजनीतिक और रणनीतिक असंगति**: भारत को बहुध्रुवीय विश्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका, चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा।
  - मर्कोसुर देश, विशेष रूप से ब्राज़ील, के अपने भूराजनीतिक प्राथमिकताएँ हैं, जो हमेशा भारत के व्यापार और सुरक्षा हितों के अनुरूप नहीं हो सकतीं।
- **बाहरी दबाव और व्यापार युद्ध**: अमेरिका के साथ व्यापार तनाव ने भारत और ब्राज़ील को वैकल्पिक बाजारों की खोज के लिए प्रेरित किया है, लेकिन यह प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण दीर्घकालिक रणनीति से रहित हो सकता है।
  - यह चिंता बनी हुई है कि शुल्क वृद्धि या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे बाहरी आघात प्रगति की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं।

Source: TH

भारत के प्रत्यर्पण ढांचे को सुदृढ़ करना: विशेष जेलों और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आयोजित "भगोड़ों का प्रत्यर्पण: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ" विषयक सम्मेलन में राज्यों से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भगोड़ों के लिए विशेष जेलों के निर्माण का आग्रह किया।

विशेष जेलों की आवश्यकता

- **प्रत्यर्पण में बाधाएँ**: कई भगोड़े जिन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित किया गया है, विदेशी न्यायालयों में प्रत्यर्पण का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि भारतीय जेलें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करतीं।
  - कई देशों के न्यायालयों ने मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण में देरी की है या उसे अस्वीकार किया है, भारतीय जेलों में भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल की कमी जैसे मुद्दों का उदाहरण देते हुए।
- **अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन**: संयुक्त राष्ट्र के कैदियों के उपचार के लिए न्यूनतम मानक नियमों (नेल्सन मंडेला नियम) के अनुरूप विशेष जेलों का निर्माण भारत को इन आपत्तियों का जवाब देने और मानवीय व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में सहायता करेगा।

- **वैश्विक कानूनी स्थिति**: विशेष जेलें विदेशी न्यायालयों के समक्ष भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाएँगी और आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने की क्षमता को सुदृढ़ करेंगी।

भारतीय जेलों में वर्तमान समस्याएँ

- **भीड़भाड़**: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की जेल सांख्यिकी भारत 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जेलों में औसतन 120.8% की अधिभोग दर रही।
- **खराब अवसंरचना और स्वच्छता**: कई जेलों में अपर्याप्त वेंटिलेशन, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसी समस्याएँ हैं। ऐसी स्थितियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करतीं तथा प्रत्यर्पण से मना करने के कारणों के रूप में उद्धृत की जाती हैं।
- **वर्गीकरण की कमी**: आर्थिक अपराधियों, विदेशी नागरिकों या उच्च जोखिम वाले भगोड़ों के लिए अलग-अलग हिरासत श्रेणियाँ मौजूद नहीं हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्टों में हिरासत में हिंसा, चिकित्सा सहायता में देरी और सीमित कानूनी पहुँच के मामलों को उजागर किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भारत की स्थिति कमजोर होती है।

प्रत्यर्पण तंत्र में सुधार

- **पासपोर्ट समन्वय प्रणाली**: गृह मंत्री ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
  - इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी होने के तुरंत बाद पासपोर्ट को लाल झंडी दिखाकर, जब्त कर या रद्द कर देना चाहिए ताकि भगोड़े अंतरराष्ट्रीय यात्रा न कर सकें।
- **ब्लू कॉर्नर से रेड कॉर्नर नोटिस में रूपांतरण**: सूचना के लिए जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस को गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के अनुरोध वाले रेड कॉर्नर नोटिस में बदलने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
  - प्रत्येक राज्य में इस रूपांतरण की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ होगा।
- **बहु-एजेंसी समन्वय**: बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) के अंतर्गत एक संयुक्त कार्यबल, जिसमें CBI और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) शामिल होंगे, भगोड़ों की निगरानी एवं प्रत्यर्पण में निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करेगा।

संबंधित प्रगति और उपलब्धियाँ

- **वैश्विक संचालन केंद्र (CBI)**: CBI ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों के साथ रीयल-टाइम समन्वय के लिए एक वैश्विक संचालन केंद्र स्थापित किया है।
  - सितंबर 2025 तक 190 से अधिक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, जो CBI के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
- **संपत्ति पुनर्प्राप्ति**: भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) के अंतर्गत सरकार ने विगत चार वर्षों में आर्थिक भगोड़ों की संपत्तियों से लगभग $2 बिलियन की वसूली की है।
  - धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत 2014 से 2023 के बीच लगभग $12 बिलियन मूल्य की संपत्तियाँ संलग्न की गईं।

आगे की राह

- **अवसंरचना उन्नयन**: अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली मॉडल हिरासत सुविधाओं की स्थापना।
- **कानूनी सुधार**: प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **राजनयिक प्रयास**: द्विपक्षीय संधियों और पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों (MLATs) को सुदृढ़ करना।
- **क्षमता निर्माण**: अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग पर राज्य पुलिस और CBI कर्मियों को प्रशिक्षित करना।
- **सार्वजनिक पारदर्शिता**: भगोड़ों की निगरानी और प्रत्यर्पण परिणामों पर नियमित अपडेट देना ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

Source: PIB

भारत को यूरोपीय संघ के व्यापार साझेदारों में सबसे अधिक CBAM शुल्क का सामना

संदर्भ

- यूरोपीय थिंक-टैंक सैंडबर्ग के अनुसार, भारतीय लौह और इस्पात निर्यातकों को यूरोपीय संघ (EU) में सबसे अधिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी अनुमानित राशि €301 मिलियन है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

- CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारण करना है, और गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
- CBAM, EU ग्रीन डील का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 55% तक कम करना है।
- इसका उद्देश्य EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के अंतर्गत EU उत्पादों द्वारा चुकाए गए कार्बन मूल्य और आयातित वस्तुओं के बीच मूल्य समानता सुनिश्चित करना है।
  - यह उस प्रवृत्ति को संबोधित करता है जिसमें EU निर्माता कार्बन-गहन उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित कर देते हैं जहाँ जलवायु नीतियाँ कम सख्त होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 'कार्बन लीकेज' को रोकना है।

CBAM का कार्यान्वयन

- CBAM प्रणाली 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आने की संभावना है।
- प्रारंभ में यह सीमेंट, लौह और इस्पात, एल्युमिनियम और विद्युत के आयात पर लागू होगा, क्योंकि ये क्षेत्र उच्च कार्बन उत्सर्जन एवं कार्बन लीकेज के उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं।
- EU आयातकों को कार्बन प्रमाणपत्र खरीदने होंगे, जो उस कार्बन मूल्य के अनुरूप होंगे जो EU में स्थानीय उत्पादन के दौरान चुकाया गया होता।
- इन प्रमाणपत्रों की कीमत EU कार्बन क्रेडिट बाजार में नीलामी दरों के अनुसार तय की जाएगी।
- यदि कोई गैर-EU उत्पादक यह दिखा सके कि उसने तीसरे देश में आयातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उपयोग किए गए कार्बन के लिए पहले ही शुल्क अदा किया है, तो EU आयातक के लिए वह लागत पूरी तरह से घटाई जा सकती है।
- CBAM का दायरा: सिद्धांततः, सभी गैर-EU देशों से आयातित वस्तुएँ CBAM के अंतर्गत आएँगी। कुछ तीसरे देश, जो ETS में भाग लेते हैं या जिनकी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली EU से जुड़ी है, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। इसमें यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के सदस्य और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं।

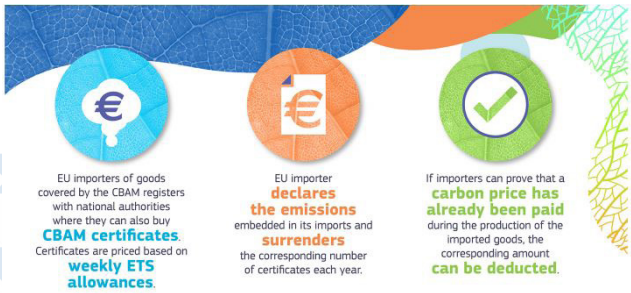

भारत को सबसे अधिक शुल्क क्यों देना पड़ रहा है

- **EU को उच्च निर्यात मात्रा**: 2024 में EU ने भारत से लगभग US$4.25 बिलियन मूल्य का लौह और इस्पात आयात किया।
  - अधिक निर्यात मात्रा के कारण कुल CBAM शुल्क अधिक हो जाता है, भले ही प्रति टन उत्सर्जन अन्य देशों के समान हो।
- **उच्च उत्सर्जन तीव्रता**: भारतीय इस्पात उत्पादन प्रति टन लगभग 2.6 टन CO_2 उत्सर्जित करता है, जबकि वैश्विक औसत ~1.9–2.0 टन CO_2 प्रति टन है।
- **उत्पादन तकनीक और ईंधन मिश्रण**: भारत में अधिकांश इस्पात ब्लास्ट फर्नेस–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF) और कोयला-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) विधियों से उत्पादित होता है।
  - कोयले और मेटलर्जिकल कोक पर अत्यधिक निर्भरता के कारण CO_2 उत्सर्जन की तीव्रता EU में प्रयुक्त EAF या ग्रीन-हाइड्रोजन आधारित विधियों की तुलना में अधिक है।

CBAM पर भारत का रुख

- CBAM भारत के निर्यात, विशेष रूप से ऊर्जा-गहन उद्योगों को कमजोर करता है और EU के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं को जटिल बनाता है।
- भारत CBAM को एक "गैर-शुल्क बाधा" मानता है जो विकासशील देशों के साथ भेदभाव करती है।
- भारत का तर्क है कि विकसित राष्ट्र, जो ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जनकर्ता रहे हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

भारत की तैयारी और शमन रणनीतियाँ

- **घरेलू कार्बन व्यापार**: भारत एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली विकसित कर रहा है, जो घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण अनुपालन दिखाकर CBAM देनदारियों को संतुलित करने में सहायता कर सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य**: भारत का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करना और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- **प्रौद्योगिकीय संक्रमण**: सैंडबर्ग विश्लेषण के अनुसार, यदि भारतीय कंपनियाँ स्वच्छ उत्पादन तकनीकों की ओर स्थानांतरित होती हैं, तो वे CBAM लागत को €180 मिलियन तक कम कर सकती हैं और संभावित रूप से €510 मिलियन की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

- EU का CBAM भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जहाँ यह कार्बन-गहन निर्यात पर लागत बढ़ा सकता है, वहीं यह घरेलू डीकार्बोनाइजेशन और कार्बन बाजार सुधारों को तेज करने के लिए एक चेतावनी संकेत भी है।
- हरित नवाचार, रणनीतिक कूटनीति और घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण का संतुलित नीति संयोजन भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने एवं जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

Source: TH

स्थानीय निकायों में आरक्षण

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें नगरपालिका और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने वाले दो सरकारी आदेशों पर रोक लगाई गई थी।
- यह कदम कुल आरक्षण को 67% तक ले जाता — जिसमें अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए 10% और OBCs के लिए प्रस्तावित 42% शामिल थे।

परिचय

- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का हवाला देते हुए इस वृद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन चुनावों को 50% की कुल आरक्षण सीमा के भीतर आयोजित करने की अनुमति दी।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ**: तेलंगाना की अपील खारिज की; बढ़े हुए OBC कोटे के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी।
  - उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना किया, यह कहते हुए कि वह संविधान पीठ के 50% सीमा निर्धारण वाले निर्णयों के विपरीत कोई राय नहीं दे सकता।
  - निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय इस मामले का स्वयं के आधार पर निपटारा करे।

भारत में आरक्षण

- वर्तमान निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
  - अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में, जब यह खुली प्रतियोगिता द्वारा नहीं होती, तो निर्धारित प्रतिशत क्रमशः SCs के लिए 16.66%, STs के लिए 7.5% और OBCs के लिए 25.84% है।

- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 राज्य (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

50% नियम क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि रोजगारों या शिक्षा में आरक्षण कुल सीटों/पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **मंडल आयोग मामला**: 1992 में, इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि कुछ असाधारण परिस्थितियाँ न हों।
  - जैसे कि उन समुदायों को आरक्षण देना जो देश के दूरदराज़ क्षेत्रों से आते हैं और जिन्हें समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा गया है। यह एक भौगोलिक नहीं बल्कि सामाजिक परीक्षण है।
- **EWS निर्णय**: सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जो EWS को 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करता है।
  - इसका अर्थ है कि वर्तमान में 50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू होती है, और राज्य EWS सहित कुल 60% तक सीटों/पदों को आरक्षित कर सकते हैं।

भारत में स्थानीय निकायों में आरक्षण

- **आरक्षण**: संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है ताकि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
  - स्थानीय क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं।
  - कुल सीटों में से 1/3 (SCs/STs के लिए आरक्षित सीटों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।
  - अध्यक्षों (जैसे सरपंच/मेयर) के पदों का आरक्षण भी अनिवार्य है।
- **स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण**: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) में स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण को अनिवार्य नहीं किया गया था।
  - हालांकि, कई राज्यों ने राज्य कानूनों या अध्यादेशों के माध्यम से इसे लागू किया है, पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उदाहरण देते हुए।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय के "ट्रिपल टेस्ट" का पालन करना चाहिए और SCs एवं STs सहित कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16**: यह सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी देता है, लेकिन अपवादस्वरूप राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि वे राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- **अनुच्छेद 16 (4A)**: राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है यदि वे राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- **अनुच्छेद 335**: यह मान्यता देता है कि SCs और STs के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके।
- **संविधान का 103वां संशोधन**: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की।

भारत में स्थानीय निकायों में आरक्षण की आवश्यकता

- **बुनियादी लोकतंत्र को सशक्त बनाना**: सच्चा लोकतंत्र सहभागी होता है। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि शासन समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करे।
- **महिला सशक्तिकरण**: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ने सार्वजनिक जीवन में महिला भागीदारी को बढ़ाया है।

- महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और कल्याण जैसे स्थानीय विकास मुद्दों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **हाशिए पर पड़े वर्गों की समस्याएँ**: भूमि अधिकार, जातिगत भेदभाव, आजीविका जैसे मुद्दे जो अन्यथा अनदेखे रह सकते हैं, उन्हें स्थानीय शासन के ढांचे के अंदर संबोधित किया जा सकता है।
- **एलीट कब्जे में कमी**: यह स्थानीय निकायों पर प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली सामाजिक समूहों के वर्चस्व को रोकता है।
  - संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और समावेशी विकास परिणामों को बढ़ावा देता है।
- **संवैधानिक और लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति**: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य विकेंद्रीकरण, समावेशिता और सशक्तिकरण है।
  - "समानता, न्याय और बंधुत्व" जैसे संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

भारत में स्थानीय निकायों में आरक्षण से जुड़ी उभरती समस्याएँ और चुनौतियाँ

- **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण की कमी**: कई मामलों में, विशेष रूप से महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत , निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पुरुष रिश्तेदारों (जैसे सरपंच पति या प्रधान पति) के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं।
  - वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति प्रमुख परिवार या समुदाय के सदस्यों के पास रहती है।
- **स्थानीय प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व**: आरक्षण के बावजूद, स्थानीय प्रभावशाली वर्ग चुनावी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करते हैं।
  - आर्थिक और सामाजिक पदानुक्रम प्रायः निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की स्वायत्तता कमजोर होती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और समर्थन तंत्र**: निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए उचित प्रशिक्षण, धन और संस्थागत समर्थन की कमी।
- **कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ**: 50% सीमा से अधिक आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनौती दी गई है।
  - राज्य सामाजिक न्याय और संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- **OBCs का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व**: स्थानीय स्तर पर OBC जनसंख्या पर अद्यतन अनुभवजन्य डेटा की अनुपस्थिति के कारण उचित सीट आवंटन में बाधा आती है।

आगे की राह

- **आरक्षित प्रतिनिधियों का वास्तविक सशक्तिकरण**: विशेष रूप से महिलाओं के मामले में, प्रॉक्सी भागीदारी को रोककर निर्वाचित प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार सुनिश्चित करना।
- **आँकड़ों पर आधारित आरक्षण योजना:** ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सटीक सीट आवंटन सुनिश्चित करने के लिए नियमित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करें।
  - आरक्षण नीतियों की समय-समय पर समीक्षा और समायोजन के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाएँ।
- **कानूनी स्पष्टता और नीतिगत सामंजस्य:** संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किए बिना सकारात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के तरीकों की खोज करते हुए 50% आरक्षण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- **निगरानी:** दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना करें।
- **समावेशी शासन को बढ़ावा देना:** जाति-आधारित या लिंग-आधारित तनावों को कम करने के लिए समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।

Source: TH

गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वैश्विक दक्षिण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए

संदर्भ

- विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य देशों को इस पहल का उपयोग

वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

- उन्होंने यह वक्तव्य 19वीं NAM मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में दिया और कहा कि NAM के सदस्यों को इस आंदोलन को "पुनः उद्देश्यपूर्ण" बनाना चाहिए।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

- **बांडुंग सम्मेलन (1955)**: गुट निरपेक्षता की अवधारणा का निर्माण बांडुंग सम्मेलन के दौरान हुआ था, जहाँ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध की वैचारिक अंतर में उलझने से बचने की कोशिश की।
  - यह विचार भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासेर जैसे तीन विश्व नेताओं से प्रेरित था।
- **बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961)**: बेलग्रेड में प्रथम NAM शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसने इस आंदोलन को औपचारिक रूप दिया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना था।
- **बांडुंग के दस सिद्धांत**
  - मौलिक मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान।
  - सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।
  - सभी नस्लों और राष्ट्रों की समानता की मान्यता।
  - किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
  - प्रत्येक राष्ट्र के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से।
  - सामूहिक रक्षा व्यवस्था का उपयोग किसी बड़ी शक्ति के विशेष हितों की पूर्ति के लिए न करना।
  - पारस्परिक अनाक्रमण।
  - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
  - पारस्परिक हितों और सहयोग को बढ़ावा देना।
  - न्याय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान।
- **शासन व्यवस्था**
  - NAM की शासन व्यवस्था अनौपचारिक है — इसका कोई स्थायी सचिवालय, संविधान या बजट नहीं है।
  - इसका संचालन रोटेशन आधारित नेतृत्व और सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर आधारित है।
- **विस्तार और संरचनात्मक परिवर्तन**
  - **सदस्यता में वृद्धि**: 1961 में 25 सदस्यों के साथ शुरू हुआ NAM अब 120 से अधिक सदस्य देशों तक विस्तृत हो चुका है, जो संयुक्त राष्ट्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - **जकार्ता घोषणा (1992)**: 10वें NAM शिखर सम्मेलन में जकार्ता घोषणा को अपनाया गया, जिसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने और गरीबी, विदेशी ऋण एवं जनसंख्या वृद्धि जैसे सामान्य मुद्दों को संबोधित करने की प्राथमिकताएँ तय की गईं।

NAM की प्रासंगिकता

- **वैश्विक दक्षिण के लिए मंच**: NAM विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र, WTO एवं जलवायु वार्ताओं जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक आवाज़ प्रदान करता है।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन को संबोधित करना**: NAM आर्थिक असमानता, विदेशी ऋण, गरीबी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच जैसे मुद्दों को उजागर करता है।
  - यह विकसित देशों पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना**: बहुध्रुवीय विश्व में भी NAM सदस्य देशों को सैन्य या रणनीतिक गुटों में शामिल होने से बचने की स्वतंत्रता देता है।
  - यह स्वतंत्र विदेश नीति और प्रमुख शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से दूरी बनाए रखने का समर्थन करता है।
- **शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना**: NAM निरस्त्रीकरण, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और उपनिवेशवाद के अंत का समर्थन करता है।
- **आर्थिक और विकास सहयोग**: NAM का ध्यान अब केवल राजनीतिक मुद्दों से हटकर आर्थिक विकास,

व्यापार और प्रौद्योगिकी साझाकरण की ओर केंद्रित हो गया है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **शीत युद्ध के बाद प्रासंगिकता में गिरावट**: सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय वैश्विक संरचना समाप्त हो गई, जिससे NAM का मूल रणनीतिक उद्देश्य कमजोर हुआ।
- **विविध सदस्यता**: NAM में 120 से अधिक सदस्य देश हैं जिनके राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हित भिन्न हैं।
  - यह विविधता आम सहमति बनाना कठिन बना देती है, विशेष रूप से संघर्षों या वैश्विक नीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर।
- **सीमित प्रवर्तन क्षमता**: NAM के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि नैतिक अधिकार और सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं।
- **बहुध्रुवीय विश्व में प्रासंगिकता**: आज के बहुध्रुवीय वैश्विक परिदृश्य में BRICS, G20 और क्षेत्रीय समूहों जैसे नए गठबंधन अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।
  - सुरक्षा और रक्षा मामलों में NAM का पारंपरिक राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है।

भारत के लिए NAM का महत्व

- **रणनीतिक स्वायत्तता**: NAM भारत को किसी भी प्रमुख शक्ति गुट से बंधे बिना स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की अनुमति देता है।
- **वैश्विक दक्षिण के लिए मंच**: यह भारत को UN और WTO जैसे वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने का अवसर देता है।
- **शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना**: NAM भारत को निरस्त्रीकरण, संघर्ष समाधान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन करने में सहायता करता है।
- **वैश्विक शासन सुधारों का समर्थन**: भारत NAM का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए करता है।
- **वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखना**: NAM भारत को प्रमुख शक्तियों के साथ बिना औपचारिक गठबंधन के लचीलापन प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक और कूटनीतिक विश्वसनीयता**: NAM में भारत की संस्थापक भूमिका उसकी कूटनीतिक प्रभावशीलता को मजबूत करती है और उसे वैश्विक दक्षिण का जिम्मेदार नेता सिद्ध करती है।

निष्कर्ष

- गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) ने अपनी स्थापना के बाद से संरचना और उद्देश्य में परिवर्तन किया है, लेकिन उभरते वैश्विक गठबंधनों और तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के कारण अब यह एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहा है।
- हालाँकि NAM की शीत युद्ध कालीन भूमिका बदल चुकी है, फिर भी यह वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रासंगिक मंच बना हुआ है, जो आर्थिक सहयोग, रणनीतिक स्वतंत्रता एवं वैश्विक राजनीति में असमानता को संबोधित करने को बढ़ावा देता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

प्रस्ताव 042

समाचार में

- प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) ने प्रस्ताव 042 को अपनाया है।

प्रस्ताव 042

- यह IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में पारित किया गया।
- यह कोयला, तेल और गैस के वैश्विक चरणबद्ध निष्कासन, नए खनन परियोजनाओं को रोकने, तथा प्रभावित श्रमिकों व समुदायों के लिए न्यायसंगत संक्रमण की मांग करता है।
- इसे नागरिक समाज, आदिवासी समूहों और WWF तथा बर्डलाइफ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है।

- यह जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय तंत्रों की खोज का आग्रह करता है।

प्रासंगिकता

- IUCN प्रथम बहुपक्षीय निकाय बन गया है जिसने जीवाश्म ईंधन उत्पादन को प्रकृति के लिए खतरे के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।
- यह COP30 से पूर्व जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत आह्वान का संकेत देता है, जिसमें जीवाश्म ईंधनों को पर्यावरणीय क्षरण का मूल कारण माना गया है।
- आदिवासी नेताओं और पर्यावरणविदों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे उनकी वास्तविकताओं की लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता बताया, तथा IUCN के दृष्टिकोण को वैश्विक संरक्षण एवं जलवायु न्याय के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा।

Source :DTE

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) योजना [Per Drop More Crop (PDMC) scheme]

संदर्भ

- सरकार ने "पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC)" योजना के अंतर्गत नई लचीलापन नीति प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) योजना

- यह एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जिसे 2015–16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई विधियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाना है।
- प्रारंभ में यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का हिस्सा थी, लेकिन 2022–23 से इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PMRKVY) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।

महत्व

- नीति आयोग द्वारा 2020 में किए गए मूल्यांकन में यह पुष्टि की गई कि PDMC योजना ने उत्पादकता, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नवीनतम दिशानिर्देश

- नई लचीलापन नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "अन्य हस्तक्षेप (OI)" के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाएँ अपनाने के लिए सशक्त बनाएगी।
- अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जल प्रबंधन गतिविधियाँ—जैसे खुदाई निर्माण और जल संचयन प्रणालियाँ—योजना के अंतर्गत बना सकते हैं।
- ये प्रणालियाँ व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ सामुदायिक उपयोग के लिए विकसित की जाती हैं, जिससे सूक्ष्म सिंचाई के लिए जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

Source :Air

भारत UN-GGIM एशिया-प्रशांत समिति का सह-अध्यक्ष निर्वाचित

समाचार में

- भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (UN-GGIM-AP) की क्षेत्रीय समिति का सह-अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए 2028 तक निर्वाचित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन – एशिया और प्रशांत (UN-GGIM-AP)

- यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों और अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय भू-स्थानिक सूचना प्राधिकरणों का प्रतिनिधि निकाय है।
- इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2012 में इसका पुनः ब्रांडिंग किया गया।
- यह संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञ समिति (UN-GGIM) की पाँच क्षेत्रीय समितियों में से एक है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य समस्याओं की पहचान और समाधान खोजने के लिए भू-स्थानिक सूचना के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में भू-स्थानिक सूचना के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम किया जा सके।

Source :Air

केप वर्ड

समाचार में

- केप वर्डे ने इतिहास रच दिया है, वह फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है (2018 में आइसलैंड के बाद)।
  - इसके विपरीत, भारत को गोवा में विश्व रैंकिंग में 158वें स्थान पर वर्तमान सिंगापुर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और वह 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहा।

काबो वर्डे

- यह अटलांटिक महासागर में स्थित 10 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- यह एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगभग 620 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसका नाम पास के सेनेगल स्थित केप वर्डे से लिया गया है।
- इसकी अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें व्यापार, परिवहन, पर्यटन और प्रवासी आय प्रमुख हैं। 1990 के दशक के मध्य से यह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।
- सांस्कृतिक रूप से, यह पुर्तगाली और अफ्रीकी प्रभावों का मिश्रण है, जो इसकी कला एवं संगीत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- साओ विसेंट द्वीप पर स्थित मिंडेलो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें एक ऐतिहासिक गहरे जल वाला हार्बर है।

Source :IE

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना(PMIS)

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के हम्पी में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के इंटर्न्स से संवाद किया।

योजना के बारे में

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS), प्रधानमंत्री के पांच योजनाओं और पहलों के पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास एवं अन्य अवसरों को बढ़ावा देना है।
- यह योजना 21–24 वर्ष की आयु के उन युवाओं को लक्षित करती है जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार में नामांकित नहीं हैं।
- इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी और आगामी पांच वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने की योजना है।
- प्रत्येक इंटर्न को ₹5,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी (जिसमें ₹4,500 सरकार द्वारा और ₹500 कंपनी द्वारा CSR के माध्यम से)।
- इसके अतिरिक्त, इंटर्नशिप स्थल पर शामिल होने पर प्रत्येक इंटर्न को ₹6,000 की एकमुश्त अनुदान राशि MCA द्वारा दी जाएगी।
- प्रत्येक इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

Source: PIB

आयुष्मान भारत में निजी क्षेत्र के अस्पतालों का प्रभुत्व

संदर्भ

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की वार्षिक रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी उपचार के लिए निजी क्षेत्र

के अस्पतालों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे योजना के अंतर्गत कुल लागत में वृद्धि हो रही है।

NHA रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **उपचार उपयोग:** योजना की शुरुआत से अब तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत ₹1.29 लाख करोड़ की लागत वाले 9 करोड़ से अधिक उपचार किए जा चुके हैं।
  - हालांकि केवल 45% सूचीबद्ध अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं, फिर भी कुल अस्पताल में भर्ती का 52% और कुल उपचार लागत का 66% निजी अस्पतालों में हुआ।
- **सामान्यत: कराए गए उपचार:** सबसे अधिक कराए गए उपचारों में हीमोडायलिसिस (कुल उपचारों का 14%) प्रमुख रहा, इसके बाद बुखार (4%), गैस्ट्रोएंटेराइटिस (3%) और जानवरों के काटने (3%) शामिल हैं।
- **पोर्टेबिलिटी सुविधा:** योजना की पोर्टेबिलिटी सुविधा लाभार्थियों को भारत में कहीं भी उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- **शीर्ष गंतव्य राज्य:** चंडीगढ़ (19%), उत्तर प्रदेश (13%) और गुजरात (11%) वे राज्य हैं जहाँ अन्य राज्यों से मरीज उपचार के लिए सबसे अधिक गए।
- **प्रमुख प्रेषक राज्य:** उत्तर प्रदेश (24%), मध्य प्रदेश (17%) और बिहार (16%) वे राज्य हैं जहाँ से सबसे अधिक मरीज अन्य राज्यों में उपचार के लिए गए।

आयुष्मान भारत योजना

- यह योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- यह एक सतत देखभाल दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसमें दो आपस में जुड़ी हुई प्रमुख घटक शामिल हैं — स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

- AB PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जो द्वितीयक और तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती सेवाओं को कवर करता है।
- कवरेज: यह अस्पताल में भर्ती से पहले के 3 दिन और भर्ती के बाद के 15 दिनों तक की जाँच और दवाओं जैसी व्ययों को कवर करता है।
  - लाभार्थी भारत में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है।
  - परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पात्रता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के वंचना और व्यवसाय आधारित मानदंडों के आधार पर परिवारों को शामिल किया गया है।
  - इसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत कवर थे लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में शामिल नहीं थे।
- **वित्तपोषण:** इस योजना के लिए वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।
  - हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों (जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 है।

Source: IE

डिजिटल युग में डोपामाइन अधिभार का प्रभाव

संदर्भ

आधुनिक जीवनशैली, जो तकनीक और त्वरित संतुष्टि से प्रेरित है, ने सामूहिक रूप से "डोपामिन ओवरडोज़" की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो हमारे मस्तिष्क की संरचना को मूल रूप से बदल रही है।

डोपामिन और मस्तिष्क का पुरस्कार तंत्र

- डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद, प्रेरणा एवं पुरस्कार की भावना के लिए उत्तरदायी होता है।
- यह मुख्य रूप से मेसोलिंबिक मार्ग के माध्यम से कार्य करता है, जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया (VTA) और न्युक्लियस अक्यूम्बेंस को जोड़ता है — ये दोनों व्यवहारों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण हैं जो संतोष या सफलता लाते हैं।
- जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं या भोजन का आनंद लेते हैं, तो डोपामिन स्रावित होता है, जो हमें उस क्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित करता है।

युवा मस्तिष्क पर प्रभाव

- सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वे स्लॉट मशीन की तरह अस्थायी पुरस्कार प्रणाली पर कार्य करते हुए अधिकतम जुड़ाव सुनिश्चित करें।
- **प्रभाव**: डोपामिन की अधिकता थकान, प्रेरणा की कमी और एकाग्रता में गिरावट का कारण बनती है।
  - मस्तिष्क, जो त्वरित डोपामिन हिट्स से अति-उत्तेजित हो जाता है, सामान्य कार्यों को अप्रभावी और निरर्थक मानने लगता है।
  - समय के साथ, यह चिंता, नींद संबंधी विकार, आत्म-सम्मान की कमी और यहां तक कि नैदानिक अवसाद में योगदान देता है।
  - आधुनिक जीवनशैली, जो मल्टीटास्किंग, निरंतर स्क्रॉलिंग और डिजिटल तुलना से परिभाषित होती है, इस मानसिक थकावट को बढ़ा देती है, जिससे उत्पादकता एवं रचनात्मकता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- **डिजिटल डिटॉक्स और सजग उपयोग**: निर्धारित तकनीकी ब्रेक, अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद करना या ग्रेस्केल मोड का उपयोग करना अनियंत्रित जांच की प्रवृत्ति को कम कर सकता है।
  - **"डोपामिन फास्टिंग"** — जानबूझकर अति-उत्तेजना से बचना — मस्तिष्क को उसके पुरस्कार आधार रेखा को पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है।
- अच्छी नींद और संतुलित आहार न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि को नियंत्रित करने और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं।

Source: TH

PUNCH अंतरिक्ष मिशन

संदर्भ

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा लॉन्च किए गए PUNCH अंतरिक्ष मिशन ने सौर पवनों का अवलोकन किया है।

PUNCH मिशन

- PUNCH का पूर्ण रूप है: **कोरोना और हेलियोस्फीयर को एकीकृत करने के लिए पोलारिमीटर।**
- **उद्देश्य**: सूर्य के कोरोना (बाहरी वायुमंडल) और सौर पवन को एकीकृत प्रणाली के रूप में अध्ययन करना।

विशेषताएँ

- PUNCH में निम्न पृथ्वी कक्षा में चार छोटे उपग्रह शामिल हैं।
- यह आंतरिक हेलियोस्फीयर का त्रि-आयामी वैश्विक अवलोकन करेगा ताकि यह समझा जा सके कि सूर्य का कोरोना सौर पवन में कैसे परिवर्तित होता है।
- उपग्रह उस संक्रमण क्षेत्र का मानचित्रण करेंगे जहाँ सूर्य का कोरोना सौर पवन में बदलता है।

प्रमुख उपलब्धि

- यह मिशन "अदृश्य को दृश्य बनाने" में सक्षम है, क्योंकि यह सामान्यतः अदृश्य रहने वाली सौर पवन की इमेजिंग कर रहा है।

वैज्ञानिक महत्व

- अंतरिक्ष मौसम को समझना और उसका पूर्वानुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सौर घटनाएँ जैसे सौर पवन और कोरोना मास इजेक्शन (CMEs) पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं।

सौर पवन और कोरोना

- कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है, जो अत्यंत गर्म और विरल होता है।
- सौर पवन कोरोना से निकलने वाले आवेशित कणों की निरंतर धारा है, जो पूरे सौरमंडल में फैलती है।
- कोरोना और सौर पवन दोनों अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करते हैं, जो उपग्रहों, संचार प्रणालियों, विद्युत ग्रिड एवं अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

Source: TH

सेल2सेंटेंस-स्केल 27B (C2S-स्केल)

संदर्भ

- गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का एक समूह प्रस्तुत किया है, जिसने कैंसर का पता लगाने के लिए एक ऐसी दवा संयोजन का सुझाव दिया जिसे मानव विशेषज्ञ नहीं जानते थे, और जो प्रयोगशाला स्थितियों में प्रभावी प्रतीत हुआ।

परिचय

- **एआई मॉडल और उद्देश्य:** गूगल ने सेल2सेंटेंस-स्केल 27B (C2S-स्केल) नामक एक 27-बिलियन-पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - C2S-Scale ने कैंसर कोशिकाओं के व्यवहार पर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे जीवित कोशिकाओं में प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया।
- **कार्य**
  - शोधकर्ताओं ने जिस समस्या को हल करने का प्रयास किया, वह यह थी कि कैसे एक उभरते हुए ट्यूमर का पता लगाया जाए जब प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं उससे अनजान हो।
  - एक रणनीति यह थी कि ऐसे प्रारंभिक ट्यूमर को एंटीजन प्रस्तुति नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाले संकेत प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- **वैज्ञानिक महत्व**
  - यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहाँ एआई केवल डेटा विश्लेषण करने के बजाय वैज्ञानिक खोज में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
  - यह कैंसर उपचार विकसित करने के लिए नए मार्ग खोल सकता है।
  - इसके चिकित्सीय प्रभाव की पुष्टि से पहले प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल परीक्षणों की आवश्यकता होगी।

Source: TH

Su-57 लड़ाकू जेट

संदर्भ

- भारतीय वायु सेना (IAF) अब रूस से Su-57 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें भारत में ही इन विमानों के स्थानीय निर्माण की संभावना भी शामिल है।

Su-57 के बारे में

- रूस की सुखोई कंपनी द्वारा विकसित Su-57, जिसे "फेलन" भी कहा जाता है, एक जुड़वां इंजन वाला, एक सीट वाला, पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है।
- **भूमिका**: वायु श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन; यह हवाई और जमीनी दोनों लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- **पहली उड़ान**: 2010
- **अधिकतम गति**: मैक 2 (~2,136 किमी/घंटा)
- **कॉम्बैट रेंज**: लगभग 1,900 किमी
- **अधिकतम टेकऑफ वजन**: लगभग 35 मीट्रिक टन

- **स्टील्थ और जीवित रहने की क्षमता**: कम रडार क्रॉस-सेक्शन, कम इन्फ्रारेड और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिग्नेचर; गुप्त अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- मित्र देशों में केवल अमेरिका और रूस ही वर्तमान में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संचालित करते हैं।
- अमेरिका का F-35, हालांकि अधिक उन्नत और स्टील्थ क्षमताओं से युक्त है, लेकिन इसे "मेक इन इंडिया" योजना के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- Su-57 की अनुमानित प्रति यूनिट लागत $35–40 मिलियन है, जो F-35 की कीमत का आधा से भी कम है, और यह काफी सस्ता विकल्प है।

Source: TH

■■■■